

अपीलीय सिविल

माननीय न्यायाधीश श्री आर. एन. मित्तल के समक्ष

स्नातकोत्तर संस्थान, -प्रतिवादी - अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स गाजियाबाद टेक्सटाइल्स नवागंज-वादी-प्रतिवादी।

1975 की नियमित प्रथम अपील संख्या 195

6 जनवरी, 1976।

भारतीय संविदा अधिनियम (1872 का IX) - धारा 2 और 73 - एक निश्चित अवधि के दौरान माल की अधिकतम मात्रा की आपूर्ति के लिए स्वीकार की गई निविदा - समय-समय पर निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति के लिए आदेश - चाहे अलग-अलग संविदाएं हों - माल के एक हिस्से की आपूर्ति न होने के कारण जोखिम उठाना/ खरीद करना - खरीदार को हुआ नुकसान - क्या प्राप्त माल की कीमत के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है - नुकसान - क्या सबूत के बिना मूल्यांकन किया जा सकता है। बाजार मूल्य।

अभिनिर्धारित किया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले माल की कीमत और अधिकतम मात्रा के बारे में निविदा की स्वीकृति एक निरंतर प्रस्ताव का गठन करती है न कि अनुबंध। माल की आपूर्ति के संबंध में, निविदा केवल तभी एक अनुबंध बन जाती है जब खरीदार द्वारा माल की एक निर्दिष्ट मात्रा के लिए ऑर्डर दिया जाता है। खरीदार समय-समय पर ऑर्डर देकर निरंतर प्रस्ताव को अनुबंध में बदलने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, निविदा की शर्तों के अनुसार माल की निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति के आदेश विभिन्न अनुबंधों का गठन करते हैं।

(पैरा 6)।

अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा वर्तमान में देय और देय राशि का दावा नहीं है और खरीदार विक्रेता को देय अन्य राशियों को हड़पकर ऐसे दावे की राशि की वसूली करने का हकदार नहीं है। अज्ञात राशि का कोई सेट-ऑफ नहीं हो सकता है। खरीदार का दावा, भले ही उसके द्वारा एक विशेष राशि पर मूल्यांकन किया गया हो, यदि विक्रेता द्वारा विवादित है, फिर भी दावा करने का एक विवादित अधिकार बना हुआ है, न कि एक निश्चित ऋण। विक्रेता को देय और देय किसी भी राशि के खिलाफ इस तरह के दावे का विनियोग कानून के अधिकार के बिना और उस अर्थ में अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। खरीदार को निर्णय की यह शक्ति देना उसे अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश का गठन करना होगा। यहां तक कि अगर विक्रेता द्वारा माल की आपूर्ति न करने के कारण खरीदार को कोई नुकसान होता है, तो वह खुद नुकसान को समायोजित नहीं कर सकता है और यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह सेटऑफ का दावा करने पर राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करे। इस प्रकार, वह न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथों में नहीं ले सकता है और उन भुगतानों को बनाए रख सकता है जो वह विक्रेता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया गया कि नुकसान का निर्धारण करने के लिए, उल्लंघन होने की तारीख पर अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह केवल तभी किया जा सकता है जब समझौते के उल्लंघन की तारीख पर बाजार मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। यदि बाजार मूल्य का कोई सबूत नहीं है, तो जो पार्टी नुकसान का दावा करती है, उसे यह नहीं दिया जाएगा।

(पैरा 9)

चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश श्री राज कुमार गुप्ता के न्यायालय की दिनांक 29 जनवरी, 1975 की डिक्री से नियमित प्रथम अपील, जिसमें वादी को 10,000/- रुपये की वसूली के लिए डिक्री प्रदान की गई थी। 7,345 रुपये की लागत और वादी के वाद को 1,00,000 रुपये तक की सीमा तक खारिज करना। 3,142-50 एन.पी.

आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. बंसल, एडवोकेट।

जी. आर. मजीठिया, एडवोकेट अमरजीत सिंह और एडवोकेट

आरके अग्रवाल, एडवोकेट।

निर्णय

आर. एन. मित्तल, जे.

1. यह निर्णय 1975 के आरएफए संख्या: 195 और 299 का निपटारा करेगा, जो उसी फैसले से उत्पन्न होते हैं।
2. संक्षेप में वादी का मामला यह है कि यह भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म है। प्रतिवादी ने 27 फरवरी, 1970 को ट्रिब्यून में पट्टियों, सर्जिकल धुंध और अवशोषक सूती ऊन की आपूर्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया। वादी ने 19 मार्च, 1970 को 400 ग्राम के रोल में 8,000 किलोग्राम अवशोषक कपास ऊन, 1,50,000 मीटर सर्जिकल धुंध आदि की आपूर्ति के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत की। प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार कर लिया और 4,000 किलोग्राम की आपूर्ति के लिए 27 मार्च, 1970 को एक आदेश दिया। अवशोषक कपास ऊन। वादी ने 21 अप्रैल, 1970 की माल रसीद के तहत 400-400 ग्राम के रोल में अवशोषक सूती ऊन के 8,400 रोल और 21 अप्रैल, 1970 की माल रसीद संख्या 866 के तहत 1,600 रोल की आपूर्ति की। प्रतिवादी को 22 अप्रैल, 1970 को सामान मिला। उपरोक्त सामान के लिए वादी द्वारा प्रतिवादी को 25,032 रुपये और 4,768 रुपये के बिल भेजे गए थे, जिन्हें प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर भुगतान किया जाना था। माल। प्रतिवादी ने पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार तीस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया। वादी द्वारा प्रतिवादी से पूछताछ करने पर, यह पता चला कि उसके द्वारा कपास ऊन के शुद्ध वजन के बारे में आपत्ति ली गई थी। वादी, जिसे पैसे के लिए कड़ी मेहनत की गई थी, 10,000 रोल के बाहरी कवर के वजन के लिए प्रतिवादी को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया और 26 मई, 1970 को 400 ग्राम के 850 रोल अधिक मुफ्त में भेज दिए। इसे प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद, प्रतिवादी ने 400 ग्राम के 10,000 रोल कपास ऊन के 10,000 रोल की कीमत के रूप में 2.98 रुपये प्रति रोल की दर से 26,657.50 रुपये का भुगतान किया। वादी द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा इंटर-लीफ पेपर के वजन की कीमत के रूप में 3,142.50 रुपये अवैध रूप से रोके गए थे। प्रतिवादी ने 8 अप्रैल, 1970 को वादी को एक लाख मीटर सर्जिकल धुंध का आदेश दिया। इसने टुकड़ा-भोजन

में इसकी आपूर्ति शुरू कर दी। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त आपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ 3,807 रुपये और 2,538 रुपये के मूल्य के दो बिल बकाया हैं। नतीजतन, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ 10,487.50 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमे को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसने 400 ग्राम शुद्ध वजन के 2.98 पैसे प्रति रोल की दर से 4,000 किलोग्राम कपास ऊन शोषक की आपूर्ति के लिए आदेश दिया था। हालांकि, इसमें कहा गया है कि कपास ऊन के 10,000 रोल प्राप्त हुए थे, लेकिन उनका वजन कम था और पार्टियों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार नहीं था। प्रतिवादी के अनुसार, वास्तव में आपूर्ति की गई सामग्री के लिए 26,657.50 रुपये का भुगतान वादी को किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि वादी ने 850 रोल नहीं बल्कि कपास के 843 रोल की आपूर्ति की, जैसा कि वादी ने प्रतिवादी के आदेश के अनुपालन में की गई कम आपूर्ति के लिए प्रतिवादी को मुआवजा देने के लिए आरोप लगाया था। प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसने वादी को एक लाख मीटर सर्जिकल धुंध की आपूर्ति का आदेश दिया था। प्रतिवादी के अनुसार, वादी तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर माल की आपूर्ति करने में विफल रहा और इसलिए, आपूर्ति किए गए माल के लिए भुगतान रोक दिया गया था। यह आगे कहा गया है कि प्रतिवादी को वादी के जोखिम पर बाजार में सामान खरीदना पड़ा और वादी से 28.36 रुपये की राशि बकाया है। पक्षकारों की दलीलों पर न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए -

- i. क्या वादी एक साझेदारी फर्म है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है और मुकदमा करने वाले व्यक्ति को फर्मों के रजिस्टर में पंजीकृत भागीदार के रूप में दिखाया गया है?
- ii. क्या माल की कीमत की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कपास रोल के ओवरलीफ या इंटर-लीफ पेपर का वजन शामिल किया जाना था?
- iii. क्या प्रतिवादी ने 3,142.50 पैसे के भुगतान को अवैध रूप से रोक दिया था जैसा कि वाद के पैराग्राफ 10 में आरोप लगाया गया है?
- iv. क्या प्रतिवादी वादी द्वारा की गई आपूर्ति के लिए 3,807 रुपये और 2,538 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?
- v. क्या प्रतिवादी लिखित बयान के पैरा 11 में उल्लिखित कारणों के लिए उक्त भुगतान को रोकने का हकदार था?
- vi. क्या प्रतिवादी वादी को 1,000 रुपये की जमानत राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं है?
- vii. मदद

ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी एक साझेदारी फर्म है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है और मुकदमा करने वाले व्यक्ति को फर्मों के रजिस्टर में एक पंजीकृत भागीदार के रूप में दिखाया गया है, कि माल की कीमत की गणना के प्रयोजनों के लिए रोल के ओवरलीफ या इंटरलीफ पेपर का वजन शामिल नहीं किया जाना था और वादी था, 3,142.50 पैसे की राशि के हकदार नहीं हैं। यह आगे माना गया कि प्रतिवादी वादी को सर्जिकल धुंध की आपूर्ति के लिए 3,807 रुपये और 2,538 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, कि प्रतिवादी उपरोक्त भुगतान को रोकने का हकदार नहीं था और प्रतिवादी वादी को 1,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि वापस करने के लिए बाध्य था। उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने वादी के 7,345 रुपये के मुकदमे का फैसला सुनाया।

3. ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री के खिलाफ दो अपील दायर की गई हैं - एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड

रिसर्च, चंडीगढ़, प्रतिवादी (1975 का आरएफए नंबर 195), और दूसरी मेसर्स गाजियाबाद टेक्सटाइल्स, नया गंज, गाजियाबाद, वादी (1975 का आरएफए नंबर 299) द्वारा। मैं सबसे पहले प्रतिवादी द्वारा दायर 1975 के आरएफए नंबर 195 पर विचार करूंगा।

4. अपीलकर्ता के वकील श्री आनंद स्वरूप ने जोरदार तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुद्दा संख्या 4 पर फैसला करने में गलती की है। उन्होंने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने 8 अप्रैल, 1970 (प्रदर्शनी डी 3), 24 सितंबर, 1970 (प्रदर्शनी डी 4) और 4 फरवरी, 1971 (प्रदर्शनी डी 5) के आदेशों के तहत सर्जिकल धुंध की आपूर्ति के लिए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वादी 8 अप्रैल, 1970 के आदेश के तहत आदेश ति धुंध की मात्रा का एक हिस्सा प्रदान करने में विफल रहा और 24 सितंबर, 1970 और 4 फरवरी, 1971 के आदेशों का पालन करने में विफल रहा। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी को बाजार से सर्जिकल धुंध खरीदनी पड़ी और इसे खरीदने में नुकसान उठाना पड़ा, जिसे वादी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है और विद्वान वकील के तर्क पर एक विचारशील विचार किया है। उपर्युक्त प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, निविदा सूचना, निविदा और स्वीकृति पत्र का संदर्भ देना होगा। निविदा नोटिस के अनुपालन में, वादी ने 19 मार्च, 1970 को एक निविदा (प्रदर्शनी पी -3) प्रस्तुत की। टेंडर नोटिस में टेंडर की शर्तें नहीं दी गई थीं। हालांकि, इसमें यह कहा गया था कि आवश्यक वस्तुओं के विस्तृत नियम/शर्तों और विवरण वाले फॉर्म निदेशक के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा में वे सभी शर्तें दी गई थीं, जिन पर आपूर्ति की जानी थी। खंड (11) में, यह कहा गया है कि कोटेशन को निविदाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित नियत तारीख से छह महीने की अवधि के लिए निदेशक के विवेक पर पूरे या आंशिक या आंशिक रूप से स्वीकृति के लिए खुला प्रस्ताव या प्रस्ताव माना जाएगा। खंड (13) में, यह उल्लेख किया गया है कि आपूर्ति आदेशों में निर्धारित डिलीवरी या प्रेषण के समय और तारीख को अनुबंध का सार माना जाएगा और यदि ठेकेदार आपूर्ति आदेश में ऐसी डिलीवरी या प्रेषण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी खेप को वितरित या भेजने में विफल रहता है, तो अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अन्यथा निदेशक ठेकेदार से 2 की राशि वसूलने का हकदार होगा। प्रत्येक माह अथवा एक माह के किसी भाग के लिए ऐसी खेप के संविदा मूल्य का प्रतिशत, जिसके दौरान ऐसी खेपों की आपूर्ति अथवा प्रेषण बकाया हो सकता है अथवा वैकल्पिक रूप से निदेशक के विकल्प पर वह ऐसी खेपों को ठेकेदार के जोखिम पर कहीं और खरीदने अथवा संविदा रद्द करने का हकदार होगा, ऐसी स्थिति में प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। निविदा को प्रतिवादी द्वारा 27 मार्च, 1970 के पत्र (प्रदर्शनी डीआई) के माध्यम से स्वीकार किया गया था। यह पत्र प्रतिवादी के निदेशक द्वारा वादी को लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि सूती ऊन शोषक और धुंध शल्य चिकित्सा की आपूर्ति के लिए वादी की निविदा स्वीकार कर ली गई है। यह भी कहा गया है कि डिलीवरी अवधि फर्म ऑर्डर की प्राप्ति से 30 दिन थी। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि सूती ऊन शोषक की कीमत "400 ग्राम नेट के 2.98 रुपये प्रति रोल की दर से" और धुंध सर्जिकल की कीमत "18 मीटर की तुलना में 4.70 रुपये प्रति रोल की दर से" होगी। यद्यपि वादी द्वारा उक्त पत्र की प्राप्ति से इनकार किया जाता है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादी पर 8 अप्रैल, 1970, 24 सितंबर, 1970 और 4 फरवरी, 1971 के आदेशों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पत्र वादी तक पहुंच गया और उसने उस पत्र के संदर्भ में माल की आपूर्ति की। इन परिस्थितियों में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उक्त पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ था। उपरोक्त दस्तावेजों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है, सबसे पहले, वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों को प्रतिवादी द्वारा स्वीकृति के लिए खुले प्रस्ताव या प्रस्ताव के रूप में माना जाना था; दूसरा, यह प्रस्ताव एक वर्ष के लिए खुला रहना था [हालांकि यह खंड (11) में उल्लिखित है कि प्रस्ताव छह महीने की अवधि के लिए खुला रहना था, लेकिन अगर निविदा को 27 मार्च, 1970 के स्वीकृति पत्र के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि के लिए खुला रहना था, तीसरा, वादी को प्रतिवादी से आदेश प्राप्त होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर माल की आपूर्ति करनी थी;

और चौथा, यदि वादी माल की आपूर्ति करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी वादी के जोखिम पर उन्हें बाजार से खरीद सकता है।

5. वादी के वकील श्री मजीठिया ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी वादी द्वारा माल की आपूर्ति न करने के कारण नुकसान की राशि निर्धारित नहीं कर सकता है, वादी द्वारा दिए गए आदेशों में अलग-अलग अनुबंध शामिल हैं और यदि वादी द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है, तो प्रतिवादी मुकदमा दायर करके या निर्धारित राशि का दावा करके नुकसान की वसूली कर सकता है। उनके अनुसार प्रतिवादी उन भुगतानों से कथित नुकसान का समायोजन नहीं कर सका जो प्रतिवादी द्वारा वादी को किए जाने थे। वह यह भी तर्क देता है कि प्रतिवादी ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि उपरोक्त वस्तु की प्रचलित कीमत क्या थी जब वादी के जोखिम पर प्रतिवादी द्वारा खरीद की गई थी। उपर्युक्त विवादों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण के लिए उठने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं -

6. क्या वादी के साथ प्रतिवादी द्वारा दिए गए आदेशों में एक अनुबंध या अलग-अलग अनुबंध शामिल थे।

i. यदि वादी माल की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो क्या प्रतिवादी का उपाय नुकसान या दावे के लिए मुकदमा दायर करना था या वह वादी द्वारा आपूर्ति किए गए माल के कारण वादी को किए जाने वाले भुगतान के लिए राशि को निर्धारित और समायोजित कर सकता है।

ii. क्या न्यायालय नुकसान का आकलन कर सकता है, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि समझौतों के उल्लंघन की तारीख पर बाजार में माल की कीमत क्या थी।

7. श्री आनंद स्वरूप के बारे में तीन तर्क यह हैं कि वादी पर प्रतिवादी द्वारा दिए गए तीन आदेशों में एक अनुबंध था, जबकि श्री मजीठिया का तर्क है कि उन्होंने तीन अलग-अलग अनुबंधों का गठन किया है। मैंने पहले ही निविदा की शर्तों को पुनः प्रस्तुत किया है, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। खंड (11) में यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि निविदा की स्वीकृति को एक प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा। मैंने निविदा और स्वीकृति पत्र पर विचार करने के बाद यह भी देखा है कि प्रस्ताव को एक वर्ष की अवधि के लिए खुला रहना था। निविदा 1 माल की कीमत और माल की अधिकतम मात्रा के बारे में थी, जिसे वादी प्रतिवादी को आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था। उपर्युक्त दस्तावेजों को पढ़ने से यह स्थापित होता है कि निविदा और इसकी स्वीकृति एक निरंतर प्रस्ताव का गठन करती है, न कि एक अनुबंध। माल की आपूर्ति के संबंध में, वादी पर प्रतिवादी द्वारा आदेश दिए जाने के बाद ही निविदा एक अनुबंध बन गई। इस दृष्टिकोण से, मुझे पंजाब के मुख्य न्यायालय की एक खंडपीठ की टिप्पणियों से समर्थन मिलता है, जिसमें कुंदन **लाई और अन्य के रूप में रिपोर्ट की गई थी। परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव।**<sup>1</sup> उस मामले में, आयोग विभाग ने चने की इतनी मात्रा की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं क्योंकि इसके लिए 12 महीने की अवधि की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिवादी ने उस अवधि के लिए चने को एक निश्चित निश्चित मूल्य पर इतनी मात्रा में आपूर्ति करने के लिए एक निविदा भेजी, जैसा कि विभाग समय पर आदेश दे सकता है। वादी ने चने की कुछ मात्रा के लिए आदेश दिया जिसे प्रतिवादी आपूर्ति करने में विफल रहा। वादी ने अनुबंध को रद्द कर दिया और प्रतिवादी के खिलाफ गैर-वितरण के लिए नुकसान की कार्रवाई की। विद्वान पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा की गई निविदा और वादी द्वारा स्वीकार की गई निविदा अपने आप में एक अनुबंध नहीं थी, बल्कि, प्रतिवादी के .part पर निरंतर प्रस्तावों की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसे वादी निविदा की शर्तों के अनुसार आदेश देकर अनुबंध में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र था। मैं विद्वान खंडपीठ की टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी द्वारा वादी को 8 अप्रैल,

<sup>1</sup> रिपोर्ट 1904

1970, 24 सितंबर, 1970 और 4 फरवरी, 1971 के पत्रों के माध्यम से दिए गए आदेश, वादी द्वारा प्राप्त होते ही अनुबंध बन गए। इसलिए, ये तीन आदेश अलग-अलग अनुबंधों का गठन करेंगे।

8. यह एक स्वीकृत मामला है कि वादी 8 अप्रैल, 1970 को दिए गए आदेश के खिलाफ माल के एक हिस्से की आपूर्ति करने में विफल रहा। यह भी स्वीकार किया गया है कि 24 सितंबर, 1970 और 4 फरवरी, 1971 के आदेशों के खिलाफ किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की गई थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आदेश प्राप्त होने से तीस दिनों के भीतर माल की आपूर्ति की जानी थी। इस प्रकार, समझौतों का उल्लंघन मई, 1970 के दूसरे सप्ताह, अक्टूबर, 1970 के चौथे सप्ताह और मार्च, 1971 के प्रथम सप्ताह में या उसके आसपास हुआ। प्रतिवादी ने 26 अक्टूबर, 1970 से 5 मई, 1971 तक अलग-अलग तारीखों पर मेसर्स नेमको नेशनल मेडिसिन कंपनी, अमृतसर से पंजाब अनुबंध दरों पर और सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल से हरियाणा अनुबंध दरों पर सामान खरीदा। माल की कीमत जो प्रतिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उपरोक्त डीलरों से माल की खरीद के लिए प्रतिवादी द्वारा अधिक भुगतान के खिलाफ उसके द्वारा समायोजित किया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रतिवादी वादी को भुगतान के खिलाफ हुए नुकसान को समायोजित कर सकता है, या उसे उसी की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा। यह मामला अब भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया गया है। *रमन आयरन फाउंड्री*<sup>2</sup> उस मामले में, भारत सरकार के केंद्रीय खरीद संगठन ने ठेकेदारों से स्टोरों की खरीद के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया। संविदा में खंड (18) था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जब भी ठेकेदार के विरुद्ध संविदा से या उसके अंतर्गत धनराशि के भुगतान का कोई दावा किया जाता है तो सरकार ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति, यदि कोई हो, को पूरी या आंशिक रूप से जब्त करके ऐसी राशि वसूल करने की हकदार थी। और सुरक्षा अपर्याप्त होने की स्थिति में, शेष राशि और यदि ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई थी, तो वसूली योग्य पूरी राशि तब देय राशि का उपयोग करके वसूल की जाएगी या जो उसके बाद किसी भी समय अनुबंध या सरकार के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय हो सकती है। उक्त खंड की व्याख्या करते समय, भगवती, जो न्यायालय के लिए बोलते हुए, कहा गया कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा वर्तमान में देय और देय राशि का दावा नहीं है और क्रेता खंड (18) के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए ठेकेदार को देय अन्य राशि का उपयोग करके ऐसे दावे की राशि की वसूली करने का हकदार नहीं है। इस संबंध में श्री मजीठिया द्वारा मैसर्स मारवाड़ टेंट फैक्ट्री बनाम मैसर्स मारवाड़ टेंट फैक्ट्री का भी उल्लेख किया गया था। *भारत संघ और दूसरा*<sup>3</sup> उस मामले में सेट-ऑफ का दावा करने के लिए समझौते में एक खंड था। इसी तरह के एक सवाल पर फैसला करते हुए, अदालत ने कहा कि अज्ञात राशि का कोई सेट-ऑफ नहीं हो सकता है। खरीदार का दावा, भले ही उसके द्वारा एक विशेष राशि पर मूल्यांकन किया गया हो, अगर ठेकेदार द्वारा विवादित है, फिर भी दावा करने का एक विवादित अधिकार बना हुआ है, न कि एक निश्चित ऋण। यह भी कहा गया कि ठेकेदार को देय और देय किसी भी राशि के खिलाफ इस तरह के दावे का विनियोग कानून के अधिकार के बिना और उस अर्थ में अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। यह भी कहा गया कि निर्णय की शक्ति को पढ़ने के लिए खरीदार को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश का गठन करना होगा। उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं। यहां तक कि अगर वादी द्वारा माल की आपूर्ति न करने के कारण प्रतिवादी को कोई नुकसान हुआ, तो यह नुकसान को समायोजित नहीं कर सका। यह उसका कर्तव्य बन गया कि वह राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करे या सेट-ऑफ का दावा करे। यह न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथों में नहीं ले सकता था और उन भुगतानों को बनाए रख सकता था जो वह वादी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

<sup>2</sup> ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1265।

<sup>3</sup> ए.आई.आर. 1975 दिल्ली 27.

9. तीसरा प्रश्न जो निर्धारण के लिए उठता है वह यह है कि क्या यह न्यायालय रिकॉर्ड पर बाजार मूल्य के किसी भी सबूत के बिना नुकसान का आकलन कर सकता है। मैं पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुका हूँ कि यह उल्लंघन मई, 1970 के दूसरे सप्ताह, अक्टूबर, 1970 के चौथे सप्ताह और फरवरी, 1971 के प्रथम सप्ताह में हुआ था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि उन अवधियों में प्रचलित कीमतें क्या थीं। डीडब्ल्यू 2, राम मुनि ने 31 मई, 1974 के अपने बयान में कहा कि जोखिम खरीद करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किए गए थे। इन कोटेशन को 26 अक्टूबर, 1970 को खोला जाना था। उन्हें उस तारीख तक नहीं खोला गया था। उपरोक्त कथन से यह स्थापित होता है कि माल की आपूर्ति के लिए निविदाएं अक्टूबर में या उसके आसपास आमंत्रित की गई थीं, लेकिन इन्हें खोला नहीं गया था। इन वस्तुओं को पंजाब और हरियाणा सरकारों की अनुमोदित दरों पर खरीदा गया था और उन तारीखों पर प्रचलित कीमतों के बारे में बाजार से कोई पूछताछ नहीं की गई थी जब समझौते का उल्लंघन हुआ था। वादी उन तारीखों पर माल खरीदने के नुकसान के बारे में प्रतिवादी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था जब उल्लंघन हुआ था। यदि उसने बाद में सामान खरीदा था, तो वादी की देयता उस सीमा तक सीमित होगी, जो प्रतिवादी को भुगतना पड़ता, अगर उसने उल्लंघन की तारीख पर सामान खरीदा होता। *पी.एस.एन.एस. अंबालावन चेट्टियार एंड कंपनी Ltd\_ और एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से दृढ़ हूँ। एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड, बॉम्बे*<sup>4</sup> उस मामले में यह माना गया था कि विक्रेता उल्लंघन की तारीख पर अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को नुकसान के रूप में दावा करने का हकदार है। जहां माल की स्वीकृति के लिए बिक्री के अनुबंध के तहत कोई समय तय नहीं किया जाता है, नुकसान का उपाय प्रथम दृष्टया खरीदार द्वारा माल स्वीकार करने से इनकार करने की तारीख पर अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर है। उपरोक्त मामले में उल्लंघन खरीदार द्वारा किया गया था। यदि उल्लंघन विक्रेता द्वारा किया गया था तो भी यही सिद्धांत लागू होगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि नुकसान का निर्धारण करने के लिए, उल्लंघन होने की तारीख पर अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निर्धारित किया जाना है। यह तब किया जा सकता है जब समझौते के उल्लंघन की तारीख पर बाजार मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। यदि समझौते के उल्लंघन की तारीख पर बाजार मूल्य के बारे में कोई सबूत नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं किया जा सकता है। इस विचार को पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के *मैसर्स मातनहेला ब्रदर्स और अन्य बनाम अन्य मामले में दिए गए निर्णय से समर्थन प्राप्त है। मैसर्स श्री महावीर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड*<sup>5</sup> उंटवालिआ जे, जैसा कि वह उस समय न्यायालय के लिए बोल रहे थे, ने इस प्रकार टिप्पणी की: —

"मेरी निश्चित रूप से राय है कि अनुबंध का उल्लंघन हुआ और प्रतिवादी अप्रैल, 1961 में उस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार थे, जो अप्रैल, 1961 के मध्य के आसपास अधिक सटीक था। जून, 1961 में प्रचलित संविदा मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर के आधार पर क्षति के लिए वादी का दावा अस्थिर था। अप्रैल, 1961 के मध्य में या उसके आस-पास प्रचलित बाजार दर के संबंध में कोई दावा या साक्ष्य न होने के कारण तय किया गया मुकदमा विफल होना चाहिए। इस संबंध में *एरोल मैके वी में निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। कामेश्वर सिंह,*

<sup>4</sup> ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 741.

<sup>5</sup> ए.आई.आर. 1970 पटना 91

डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाम<sup>6</sup> भिखराज जयपुरिया, भिखराज जयपुरिया<sup>7</sup> वी। भारत संघ<sup>8</sup> और मुरलीधर चिरंजीलाल बनाम भारत संघहरिशचन्द्र द्वारकादास।<sup>9</sup>

"रिलायंस को रामप्रताप महादेव प्रसाद बनाम फर्म मामले में इस अदालत के फैसले पर वादी-प्रतिवादी की ओर से रखा गया था। सेसांसे शुगर वर्क्स लिमिटेड और<sup>10</sup> पी.एस.एन.एस., अंबालावन चेडियार एंड कंपनी में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय/लिमिटेड v. एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड, बॉम्बे<sup>11</sup> मेरी राय में, इन दो मामलों में से कोई भी वादी-प्रतिवादी के विवाद में मदद नहीं करता है। पटना मामले में, सवाल यह था कि यदि उस समय के दौरान जब माल वितरित किया जाना चाहिए था और जब उन्हें वितरित नहीं किया गया था, तो खरीदार ने बाजार में माल को फिर से खरीदा था कि क्या उस पुनर्खरीद दर को अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए बाजार दर के रूप में लिया जा सकता है। उनके लॉर्डशिप आयोजित किए गए, ऐसा हो सकता है। यदि मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूँ, तो उस मामले में निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस मामले के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि बाजार दर, जिसे उस मामले के तथ्यों के आधार पर, पुनर्खरीद दर के रूप में लिया गया था, वह दर थी जो तब प्रचलित थी जब माल वितरित किया जाना चाहिए था, लेकिन वितरित नहीं किया गया था; कहने का मतलब है, विक्रेता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन की तारीख पर।

एक निश्चित अवधि के दौरान सरकार को माल की आपूर्ति करने के लिए संविदा मूल्य को उस अवधि के दौरान बाजार मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाजार मूल्य सकारात्मक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना है। यदि बाजार मूल्य का कोई सबूत नहीं है, तो जो पार्टी नुकसान का दावा करती है, उसे यह नहीं दिया जाएगा।

11. प्रतिवादी के वकील श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया है कि यदि उल्लंघन की तारीख पर माल के बाजार मूल्य के बारे में कोई सबूत नहीं है, तो खरीदार द्वारा माल के लिए भुगतान की गई कीमत को बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने फर्म रामप्रताप महादेव प्रसाद बनाम सासांसा शुगर वर्क्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) का उल्लेख किया है। मैं विद्वान वकील की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। वर्तमान मामले में माल उन तारीखों पर या उसके बारे में नहीं खरीदा गया था जब उल्लंघन हुआ था, लेकिन बहुत बाद में और अलग-अलग तारीखों पर खरीदे गए थे। रामप्रताप महादेव प्रसाद के मामले (सुप्रा) में तथ्य अलग हैं। उपरोक्त मामले का संदर्भ मैसर्स मातारेल्ला ब्रदर्स के मामले (सुप्रा) में भी किया गया था। विद्वान बेंच ने उस मामले को अलग कर दिया। ऊपर उद्धृत निर्णय के भाग में इस आशय का संदर्भ दिया गया है। उस मामले के तथ्यों को फिर से संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि श्री आनंद स्वरूप उस मामले में टिप्पणियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

12. अब मैं 1975 के आरएफए संख्या 299 पर चर्चा करूंगा। इस अपील में अपीलकर्ता के वकील श्री मजीठिया द्वारा यह तर्क दिया

---

<sup>6</sup> ए.आई.आर. 1932 पी.सी.

<sup>7</sup> ए.आई.आर. 1957 पैट 586.

<sup>8</sup> ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 113.

<sup>9</sup> ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 366.

<sup>10</sup> ए.आई.आर. 1964 पृष्ठ 250.

<sup>11</sup> ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 741.



गया है कि कपास को रोल करने के लिए आवश्यक कागज के वजन को इसकी कीमत की गणना के लिए कपास के वजन में शामिल किया जाना था। वह प्रस्तुत करता है कि विद्वान परीक्षण कोर ने गलत तरीके से माना है कि पेपर के वजन को बाहर रखा जाना चाहिए।

13. मैंने श्री मजीठिया के तर्क पर सोच-समझकर विचार किया है, लेकिन खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। प्रतिवादी ने 27 मार्च, 1970 को टेलीग्राम द्वारा कपास ऊन की आपूर्ति के लिए आदेश दिया। इसके साथ ही, आदेश की पुष्टि सम तिथि के एक पत्र, प्रदर्शनी पी. 5 द्वारा की गई थी। पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि रोल का वजन 400 ग्राम नेट होना था। आदेश के अनुपालन में, वादी द्वारा प्रतिवादी को कपास की आपूर्ति की गई थी। प्रतिवादी द्वारा 1000 रोल प्राप्त करने के बाद, यह आपत्ति उठाई गई कि कपास की पूरी मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई थी। इसके बाद 26 मई, 1970 को वादी ने 400-400 ग्राम के करीब 850 रोल मुफ्त में दिए। यदि पार्टियों के बीच समझौता यह था कि रोल में इस्तेमाल किए गए कागज को कपास के वजन में शामिल किया जाना था, तो वादी को अतिरिक्त रोल की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। वादी के आचरण से, यह आगे स्थापित होता है कि वह 400 ग्राम कपास ऊन जाल के रोल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ। इसलिए, मैं विद्वान वकील के इस तर्क को अस्वीकार करता हूँ।

14. कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

15. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और • लागत के रूप में बिना किसी आदेश के उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

एन.के.एस.

**अस्वीकरण:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी